कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्रीमती गायत्री शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फालियावास, बस्सी जिला जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि पाखर, महवा जिला दौसा किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती गायत्री शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 408/2021 गायत्री शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 408/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्रीमती गायत्री शर्मा के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्रीमती गायत्री शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फालियावास, बस्सी जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन पूर्ववत पदस्थापित रहेंगी एवं दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर श्रीमती सुशीला मीणा, प्रधानाचार्य राउमावि फालियावासा, बस्सी जिला जयपुर का अन्तरिम समायोजन राउमावि पाखर, महवा जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/गायत्री शर्मा/408/2021 दिनांकः 18/2/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/दौसा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/दौसा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)